

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

1

प्रेस नोट

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी करने, हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने एवं रोजगार को सृजित करने हेतु बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 प्रारूप की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

2

प्रेस नोट

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु "पुनर्नित्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत कुल राशि 117.80 करोड (एक सौ सतरह करोड अस्सी लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड (तीन सौ इक्यावन करोड पचासी लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु "पुनर्नित्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत कुल राशि 117.80 करोड (एक सौ सतरह करोड अस्सी लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड (तीन सौ इक्यावन करोड पचासी लाख) रूपये की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

६२

3

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

बिहार विधिक माप विज्ञान (जीएटीसी) नियमावली, 2026 (The Bihar Legal Metrology) (GATC) Rules, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह नियमावली निम्न पर लागू होगा :-

24. जल मीटर
25. रक्तचापमापी
26. क्लिनिकल थर्मामीटर
27. स्वचालित रेल वेब्रिज
28. मापन टेप
29. सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर-स्वचालित तौल उपकरण
30. सटीकता वर्ग III के गैर-स्वचालित तौल उपकरण
31. लोड सेल
32. बीम स्केल
33. काउंटर मशीन
34. सभी श्रेणियों के बाट
35. गैस मीटर
36. ऊर्जा मीटर
37. नमी मीटर
38. वाहनों के लिए गति मीटर
39. श्वास विश्लेषक
40. बहुआयामी मापक यंत्र
41. फलो मीटर
42. पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर
43. सीएनजी डिस्पेंसर
44. एलपीजी डिस्पेंसर
45. एलएनजी डिस्पेंसर
46. हाइड्रोजन डिस्पेंसर

इसके फलस्वरूप पूरे देश के अनुरूप बिहार विधिक माप विज्ञान (जीएटीसी) नियमावली, 2026 (The Bihar Legal Metrology) (GATC) Rules, 2026 माप-तौल नियमों से माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन थर्ड पार्टी द्वारा भी किया जा सकेगा।

(नर्मदेश्वर लाल)

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

4

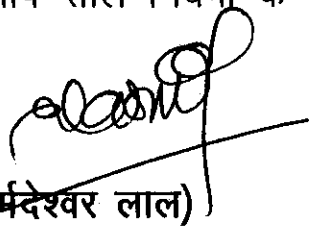
बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह नियमावली निम्न पर लागू होगा:—

- (क) राज्य के सभी वर्गों के उपक्रमों, अथवा
- (ख) राज्य में सभी वर्गों की बिक्रीत, वितरित या हस्तान्तरित वस्तुएँ, अथवा
- (ग) राज्य में सभी तरह की हुई सेवा अथवा
- (घ) राज्य में सभी वर्ग के निर्मित बिक्रीत, वितरित, हस्तान्तरित मरम्मत किए गए या व्यवहृत वाट अथवा माप अथवा
- (च) राज्य में सभी वर्ग के वाट एवं माप उपयोगकर्ताओं के संबंध में सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू करती है।

इसके फलस्वरूप पूरे देश में एक समान माप-तौल नियमों के प्रवर्तन किया जा सकेगा।



(चर्मदेश्वर लाल)

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

5

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग
संचिका संख्या-4सं./वि.2-12/2026

प्रेस नोट

बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली तथा संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालयों के सुचारु रूप से संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 35 (पैंतीस) पदों पर 11 (ग्यारह) माह की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर नियोजन करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

6

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

राज्य में कानून-व्यवस्था (Law and Order) को नियंत्रण एवं सुदृढ़ करने हेतु 30 अद्द वाटर कैनन (Water Cannon) के क्रय हेतु प्रति अद्द ₹ 88.00 लाख की दर से लागत राशि ₹ 2640.00 लाख (छब्बीस करोड़ चालीस लाख ₹0) मात्र एवं 86 अद्द नये वज्र वाहन के क्रय हेतु प्रति अद्द ₹ 42.00 लाख की दर से लागत राशि ₹ 3612.00 लाख (छत्तीस करोड़ बारह लाख ₹0) मात्र अर्थात् कुल लागत राशि ₹ 6252.00 लाख (बासठ करोड़ बावन लाख ₹0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

प्रस्तावित वाहनों के क्रय से राज्य में त्योहारों/मेलों/चुनावी रैलियों/विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन/परिश्रमण कार्यक्रम के अवसर पर कानून-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और दंगों जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के साथ राज्य में भूमि विवाद, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएँ, छात्र आंदोलन, सांप्रदायिक संवेदनशीलता तथा अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने में सहायक होगी।



(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

(7) (11/70)

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को परम्परागत शुष्क राशन के स्थान पर रेसिपी आधारित सुदृढीकृत एवं पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद (RBFFP) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कॉम्फेड को क्रियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है तथा गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली लागू की जाएगी। इससे लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के साथ टी०एच०आर० व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत टेक होम राशन (THR) घटक हेतु रेसिपी आधारित सुदृढीकृत खाद्य उत्पाद (RBFFP) की आपूर्ति के लिए कॉम्फेड को गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (Quality and Cost Based Selection- QCBS) पद्धति से निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के चयन पी०पी०पी० मोड में 15 वर्षों के लिए Boot (Build, Own, Operate and Transfer) आधार पर करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है।



सचिव

8

**बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग**

॥ प्रेस नोट ॥

बिहार राज्य आवास बोर्ड की बहादुरपुर, सेक्टर-6, पटना अवस्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास (Redevelopment) हेतु NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने तथा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित आनुषंगिक निर्णय लेने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।



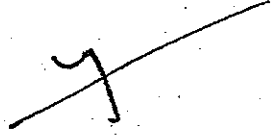
(विनय कुमार)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(9)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

बिहार राज्य आवास बोर्ड की बहादुरपुर, सेक्टर-5 (टी0वी0 टावर के निकट) में 8.5 एकड़ भूखण्ड पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने तथा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित आनुषंगिक निर्णय लेने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।


(विनय कुमार)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

10

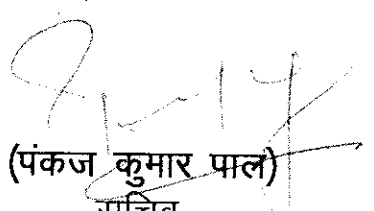
प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, मुंगेर अन्तर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (एस०एच०-22 के 18वें कि०मी०) से बिहमा (एस०एच०-22 के 22वें कि०मी०) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, (कुल लम्बाई 7.00 कि०मी०) कार्य हेतु कुल 11590.30 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख तीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषयांकित योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, भू-अर्जन की राशि, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं मूल्य वृद्धि मदों में हुई बढ़ोतरी के कारण दी गई है।

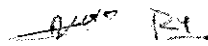
विषयांकित योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति कुल 4793.61 लाख रुपये मात्र के अनुमानित व्यय के निमित्त निर्गत है। मूल प्राक्कलन में भू-अर्जन हेतु कुल 7,62,02,440.00 रुपये मात्र एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु 1,05,00,000.00 रुपये मात्र का प्रावधान था।

वर्तमान में भू-अर्जन की राशि के साथ आवास, वृक्ष, कुआँ, बोरिंग इत्यादि के शिफ्टिंग की अनुमानित राशि को सम्मिलित करते हुए 68,09,46,226.00 रुपये मात्र का प्रावधान किया गया है।

इस बाईपास पथ के बन जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।





प्रेस नोट



सात निश्चय-2-सुलभ संपर्कता के तहत पथ प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत रनगाँव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास पथ के निर्माण कार्य हेतु कुल 8763.23 लाख (सत्तासी करोड़ तिरसठ लाख तेईस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

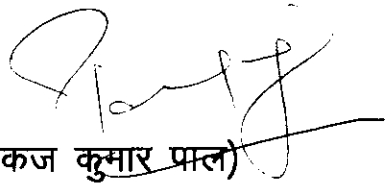
विषयांकित योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, भू-अर्जन की राशि, यूटिलिटी शिपिंग एवं मूल्य वृद्धि मदों में हुई बढ़ोतरी के कारण दी गई है।

मूल प्राक्कलन में भू-अर्जन हेतु कुल 4,03,10,049.00 रुपये एवं यूटिलिटी शिपिंग कार्य हेतु 1,00,00,000.00 रुपये मात्र का प्रावधान था।

वर्तमान में भू-अर्जन की राशि के साथ आवास, वृक्ष, कुआँ, बोरिंग इत्यादि के शिपिंग की अनुमानित राशि को सम्मिलित करते हुए कुल 54,54,24,908.00 रुपये मात्र का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित पथ के चैनेज 5.70 से 6.70 कि.मी. (खड़गपुर-तारापुर पथ से धौनी तक) में 1 कि.मी. लंबाई में पथ परत की चौड़ाई 7मी. से बढ़ाकर 10मी. किया जाना है।

इस बाईपास पथ के बन जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।



(पंकज कुमार पाल)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

 128



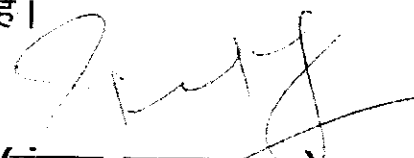
प्रेस नोट

पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों एवं भूखण्डों पर विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन, गैस पाईप लाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- (i) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-4564(S)we दिनांक-11.07.2005 एवं संकल्प सं०-4501(S) दिनांक-28.03.2008 एवं दिशा निर्देशों को दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से निरसित किया जाता है।
- (ii) टेलीफोन लाईन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल के अधिष्ठाठन के लिए अनुमति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नवीन दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक-01.01.2025 से अंगीकृत किया जाता है।

विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवर लाइन बिछाने हेतु अनुमति नवीन दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 के सदृश्य लागू दरों एवं शर्तों के अनुरूप दिया जायेगा।

- (iii) Pipe Natural Gas (PNG) Network एवं संयंत्र की स्थापना हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-1505 दिनांक-15.07.2025 द्वारा निर्गत शहरी गैस वितरण नीति-2025 को पथ निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत किया जाता है।


(पंकज कुमार पाल)
 सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

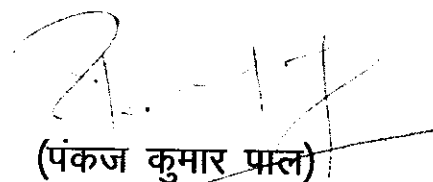
प्रेस नोट

मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से 2-लेन डाउन रैम्प एवं परसा - सम्पत्तचक पथ संरेखण में 2-लेन एट-ग्रेड पथ का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹8225.77 लाख (रुपये बयासी करोड़ पच्चीस लाख सतहत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित योजना में मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन परियोजना से परसा - सम्पत्तचक पथ को डाउन रैम्प के माध्यम से सम्पर्कता प्रदान करने हेतु मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से 2-लेन डाउन रैम्प एवं परसा - सम्पत्तचक पथ संरेखण में 2-लेन एट-ग्रेड पथ के निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

विषयांकित पथ के निर्माण होने से मीठापुर - महुली एलिवेटेड कॉरिडोर से परसा - सम्पत्तचक पथ तक सम्पर्क स्थापित होगा एवं यातायात की सुगमता बढ़ेगी तथा पटना शहर के यातायात के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध होगा।

विषयांकित योजना का कार्यान्वयन मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जाएगा।



(पंकज कुमार पाल)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

आवेदक मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लि०, कोलकाता द्वारा परियोजना इकाई होटल ताज सिटी सेंटर, पटना के निर्माण के संबंध में समर्पित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति 2023 एवं मार्गदर्शिका 2024 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना लागत 213,41,54,000/- (दो सौ तेरह करोड़ इकतालीस लाख चौवन हजार) रुपये मात्र के आधार पर द्वितीय चरण की (वित्तीय) स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई आधारभूत पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस नीति के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 निर्गत किया गया है। बिहार पर्यटन नीति 2023 दिनांक— 27.12.2023 से पाँच वर्षों की अवधि तक के लिए प्रभावी है।

- मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लि०, कोलकाता द्वारा एस.आई.पी.बी. पोर्टल के माध्यम से बिहार पर्यटन नीति के तहत चार सितारा एवं उससे ऊपर की श्रेणी के होटल निर्माण के अंतर्गत पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन किया गया था। उक्त प्रस्ताव को नीति एवं मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त पाया गया है तथा प्रस्ताव पर परियोजना लागत 213,41,54,000/- (दो सौ तेरह करोड़ इकतालीस लाख चौवन हजार) रुपये मात्र के आधार पर द्वितीय चरण (वित्तीय) की स्वीकृति प्रदान की गई।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

15

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना का संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना के गठन तथा संचालन Memorandum of Association एवं Articles of Association के अनुरूप की जानी है। Memorandum of Association एवं Articles of Association कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार तैयार किया गया था, जो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना के गठन की तिथि यथा 28.11.1980 से शामिल किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 प्रवृत्त होने के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association तैयार किया गया है।

मंत्रिपरिषद् द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना का संशोधित Memorandum of Association एवं Articles of Association की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

16

प्रेस – नोट

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के अवसर पर मधुबनी जिला में आयोजित कार्यक्रम हेतु की गयी आवश्यक व्यवस्थाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹17,28,70,659.00 (सत्रह करोड़ अठाईस लाख सत्तर हजार छः सौ उनसठ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।



(मनोज कुमार)

सचिव

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
प्रेस नोट

सात निश्चय-3 के निश्चय '1' दोगुना रोजगार-दोगुना आय के तहत कतिपय संशोधन के साथ कुशल युवा कार्यक्रम की स्वीकृति से वर्तमान में बिहार के युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि कुल -270 घंटे की होगी, जिसके पाठ्यक्रम में इम्पल्यूमेंटिबिलिटी स्किल (व्यवहार कौशल, अंग्रेजी, कार्य स्थल नैतिकता एवं रोजगार तत्परता) ऑन जॉब ट्रेनिंग भी शामिल है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में नियोजन अवयव को भी प्राथमिकता दी गयी है। डिजिटल मित्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) से मान्यता प्राप्त है। जिसका प्रमाणीकरण एन0सी0वी0ई0टी0, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे युवाओं की कार्यकुशलता एवं रोजगारपरकता में वृद्धि होगी साथ ही कौशल एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु सात निश्चय 2 की अवधि के समाप्ति के समय कार्यरत 871 कुशल युवा कार्यक्रम के संचालकों को बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली-2024 के अन्तर्गत नामांकन के आधार पर एवं बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा इसके निमित्त निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप संचालन की स्वीकृति इन केंद्रों के संचालन से प्रतिवर्ष 2,57,440 युवा प्रशिक्षित हो सकेंगे एवं इस कार्यक्रम के लागू होने से बिहार के युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से 4,572 रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।



सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सिटी अंचल के मौजा-सबलपुर
दियारा, थाना सं०-170 में कुल प्रस्तावित रकबा-02 एकड़ असर्वेक्षित
भूमि पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल के विकास हेतु 1,68,000/-
(एक लाख अड़सठ हजार) रु० प्रति डी० की दर से 3,36,00,000/-
(तीन करोड़ छत्तीस लाख) रु० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत
राशि-16,80,000/- (सोलह लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र वार्षिक
लगान के भुगतान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज
नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को दिये
जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

जय सिंह

सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-दुजरा दियारा, थाना सं०-139 में कुल प्रस्तावित रकबा-02 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल के विकास हेतु 4,200/- (चार हजार दो सौ) रू० प्रति डी० की दर से 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) रू० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत राशि-42,000/- (बयालीस हजार रुपये) मात्र वार्षिक लगान के भुगतान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को दिये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- जय सिंह

पदनाम :- सचिव

बिहार सरकार
वित्त विभाग
प्रेस नोट

(१०)

सरकारी विभागों में सामान्य उपयोग की वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा सरकारी ई-बाजार (जेम) की स्थापना की गई है। बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-130 में बिहार राज्य के अंतर्गत जेम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं की खरीद आवश्यकतानुसार किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

बिहार सरकार एवं इसके संलग्न कार्यालयों के अनुपयोगी सामग्रियों के निपटारे के लिए जेम पोर्टल पर उपलब्ध फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल का उपयोग करने संबंधी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध के आलोक में बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-130 के उपनियम-(ix) के बाद उपनियम-(x) के रूप में निम्न को जोड़ा गया है:-

“विभाग/खरीद इकाई द्वारा निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है।”

इससे राज्य के अन्तर्गत निपटारा योग्य वस्तुओं की नीलामी हेतु जेम पोर्टल के रूप में एक प्रामाणिक प्लेटफार्म का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा।



(रचना पाटिल)
सचिव(व्यय)।

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
प्रेस-विज्ञप्ति

२१

क्षेत्रीय संपर्क योजना- संशोधित उड़ान (संस्करण 6.0) के अंतर्गत राज्य के RCS रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन (ATF) हेतु वैट की दर 1% से घटाकर शून्य प्रतिशत किए जाने के संबंध में।

वायुयान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले ATF पर वैट की दर पूर्व में 29% से घटाकर जून 2025 में एक समान रूप से 4% किया गया था। किन्तु रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के अंतर्गत वैट की दर 2018 में ही 1% कर दी गई थी।

सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा क्षेत्रीय उड़ानों को गति प्रदान करने के लिए राज्य में Regional Connectivity Scheme (RCS) हेतु पूर्व से लागू ATF पर वैट की दर 1% को घटाकर शून्य प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से क्षेत्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि होगी तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।


(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या— वि. प्रा. (II) स्था०—16/2026

22

प्रेस नोट

“डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय” के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 34 (चौत्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति से डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुश्रवण एवं उसके संचालन सफलतापूर्वक एवं सुचारु रूप से किया जा सकेगा, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में राज्य देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बना सकेगा एवं इस विषय से जुड़े मानव संसाधन की उपलब्धता राज्य/देश में सुनिश्चित हो सकेगी।

हस्ताक्षर :-

नाम :- हिमांशु शर्मा

पदनाम :- सचिव

विभाग का नाम :- विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या— वि०प्रा० (II) स्था०—15/2026

प्रेस नोट

“शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय” के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 34 (चौंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति से “शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय” का अनुश्रवण एवं उसके संचालन सफलतापूर्वक एवं सुचारु रूप से किया जा सकेगा, जिससे वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण के क्षेत्र में राज्य देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बना सकेगा एवं इस विषय से जुड़े मानव संसाधन की उपलब्धता राज्य/देश में सुनिश्चित हो सकेगी।

हस्ताक्षर :- 

नाम :- हिमांशु शर्मा

पदनाम :- सचिव

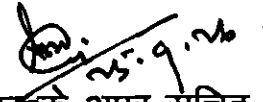
विभाग का नाम :- विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

२५

प्रेस नोट

राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अंतर्गत “मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना” को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को उपचार हेतु बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Emicizumab दवा का उपयोग किया जायेगा। इसके उपयोग से मरीजों में अनियंत्रित रक्तस्राव एवं उससे जुड़ी जटिलताओं को कम करने में मदद मिलेगी।


सरकार के अपर सचिव
Nac

(25)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऑगनबाडी केन्द्रों के संचालन हेतु राज्य योजना मद में वार्षिक मांग के विरुद्ध कम योजना उदव्यय/बजटीय उपबंध विभाग को प्राप्त है। कारणस्वरूप ऑगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका/महिला पर्यवेक्षिका को माह फरवरी, 2026 से मार्च, 2026 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष माह मई, 2026 से लगातार राज्य भत्ता का भुगतान नहीं किया जा सका है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका के माह अगस्त तक के मानदेय एवं आईसीडीएस निदेशालय, सभी जिला प्रोग्राम कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षिका, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आदि के माह नवम्बर, 2026 तक के मानदेय भुगतान हेतु राज्य स्कीम के तहत संबंधित विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल राशि ₹0 477.00 करोड़ (₹0 चार सौ सतहत्तर करोड़ रुपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है।


(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

26

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग
पटना हवाई अड्डा, पटना-800014

प्रेस नोट

सिविल विमानन विभाग राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, उपलब्ध विमानन अवसंरचना के समुचित उपयोग तथा विमानन सेवाओं के विस्तार से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। राज्य में विमानन अवसंरचना के सुदृढीकरण की दिशा में सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही, भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के अंतर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मुजफ्फरपुर, बीरपुर, वाल्मीकिनगर एवं सहरसा हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है।

सोनपुर एवं अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा विमान रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO) सुविधा तथा उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) विकसित करने का प्रस्ताव है। इन गतिविधियों के सुव्यवस्थित विकास, निवेश आकर्षित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्ट नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में तथा राज्य में विमानन क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा बिहार राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास हेतु Aviation Vision and Policy तैयार करने की पहल की गई है। इसके लिए नामांकन के आधार पर ₹86.17 लाख + Applicable Taxes मात्र की परामर्शी सेवा शुल्क पर M/s KPMG India Services LLP, Gurugram से परामर्शी सेवा प्राप्त करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

उक्त Aviation Vision and Policy के तैयार होने से राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास के लिए एक स्पष्ट, दीर्घकालिक एवं व्यवस्थित कार्य-दिशा निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से राज्य के विमानन क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य, उपलब्ध अवसंरचना एवं संस्थागत व्यवस्था का अध्ययन करते हुए संभावित विकास क्षेत्रों एवं भावी आवश्यकताओं को चिह्नित किया जा सकेगा। साथ ही, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर MRO एवं FTO की स्थापना, उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों के प्रभावी संचालन तथा उपलब्ध विमानन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की एक समग्र रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। इससे राज्य में निवेश, रोजगार एवं कौशल विकास के नए अवसर सृजित होंगे।


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

27

प्रेस नोट

मुंगेर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 333 के कि०मी० 28.340 से कि०मी० 38.840 (गंगटा जंगल) तक (सिंगल लेन से 2-लेन) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कुल ₹5122.33572 लाख (इक्यावन करोड़ बाईस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ बहत्तर रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर निर्गत प्रशासनिक, स्वीकृत्यादेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित पथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 333 मुंगेर जिला के बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, जमुई, झांझा, सोनो और चकाई होते हुए देवघर (झारखंड बॉर्डर) को जाती है।

प्रस्तावित पथ का निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा कराया जाएगा।

विषयांकित पथ के निर्माण होने से जनहित में निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।



(पंकज कुमार पाल)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

28

प्रेस नोट

स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित करने, नागरिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए लागू करने का प्रस्ताव है।

7/11/24
(विनय कुमार)
प्रधान सचिव

प्रेस नोट

राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा से शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापनार्थ 1.05 करोड़ (एक करोड़ पाँच लाख) रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ (दो हजार सात सौ चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रुपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए कुल 47.30 करोड़ (सैंतालीस करोड़ तीस लाख) रुपये की राशि देने हेतु कुल 2761.55 करोड़ (दो हजार सात सौ इकसठ करोड़ पचपन लाख) रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा से शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापनार्थ 1.05 करोड़ (एक करोड़ पाँच लाख) रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ (दो हजार सात सौ चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रुपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए कुल 47.30 करोड़ (सैंतालीस करोड़ तीस लाख) रुपये की राशि देने हेतु कुल 2761.55 करोड़ (दो हजार सात सौ इकसठ करोड़ पचपन लाख) रुपये के अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

30

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय एवं बिहार भवन कार्यालय को सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।


(महेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव।